

17. हरप्रीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाइजेशन एक्ट राजस्व रास्ता बाबत

--:: उपस्थित अभिगाषकगण ::--

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. श्री मदन लाल पारीक | प्रार्थीगण |
| 2. श्री संदीप सैन | अप्रार्थी सं. 1 ता 5, 8 ता 17 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी सं. 18 |

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 10/11/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाइजेशन एक्ट राजस्व रास्ता बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि -यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शिर्षक में अंकित है। यह कि प्राथी सं. 1 लुणाराम के नाम से कृषि भूमि (मुताबिक जमाबन्दी सन् 2021 से लगातार) तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के प.नं. 42/252 (5) किला नं. 17/2, 24, 25/1 की कुल 0.623 हैक. नहरी दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं. 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी सं. 2 जेठाराम के नाम से कृषि भूमि (मुताबिक जमाबन्दी सन् 2021 से लगातार) तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के प.नं. 41/253 (17) किला नं. 1, 10 व 42/253 (16) किला नं. 3, 4, 5/1 की कुल 1.2140 हैक. नहरी दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं. 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगणव अप्रार्थी सं. 1 से 4 गुरचरणसिंह, राकेश कुमार-सुनील कुमार व सुशील गोदारा के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 22/2 की 0.039 हैक, 24/3 की 0.039 हैक. व 25/1 की 0.022 हैक. कुल 0.100 हैक. नहरी व अनकमांड भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं. 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 5 से 8 के नाम से कृषि भूमि चक 36 एमओडी के प. न. 41/252 (4) किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 हैक. नहरी भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 9 से 14 के नाम संयुक्त खाता में चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं.1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 हैक. नहरी भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि चक 36 एमओडी के प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 की 0.010 हैक. नहरी भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 4 व प्रार्थी सं. 2 के नाम ब.हि.ब. दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं. 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक., किला नं. 23 में 0.039 हैक. किला नं. 24/3 में 0.039 हैक. किला नं. 25/1 में 0.022 हैक. व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक. भूमि में वर्षों से सभी काश्तकारों की आपसी सहमति से रास्ता चल रहा है। प.न. 41/252 (4) के किला नं. 21 की भूमि अप्रार्थी सं. 9 से 14 के नाम दर्ज है। किला नं. 22/2, 24/3, 25/1 की भूमि प्रार्थी लुणाराम-जेठाराम व अप्रार्थी सं. 1 से 4 नाम दर्ज है। किला नं. 23 की भूमि अप्रार्थी सं. 5 से

सहायक क्लर्क एट

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

8 के नाम दर्ज है। प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 है। भूमि प्राणी जेठाराम व अप्राणी सं. 1 से 4 के नाम दर्ज है।

यह कि चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 व प.न. 41/253 की पत्थर त्वाँव किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में व इनके पूर्व दिशा में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उत्तर-दक्षिण मुख्य पक्की सड़क है। प्राणीगण एवं अप्राणीगण व अन्य काश्तकार रामचन्द्र-श्रीधराम-हरपीतसिंह-जगदीश, आत्मार, गगन कुमार भी सभी अपनी भूमि में इस मुख्य सड़क से होकर प. न. 41/252 के किला नं. 21 ता 25 के दक्षिण दिशा प्रत्येक में 3 बिस्वा रास्ता पुर्न से पश्चिम तक वर्षों से आपसी सहमति से आना जाना करते हैं। आगे यह रास्ता प.न. 42/252 किला नं. 25/2 की 0.010 है। भूमि से प्राणीगण अपनी कुबि भूमि में प्रवेश करते हैं। इस रास्ता के अलावा प्राणीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता वर्षों से आपसी सहमति से सभी की आवश्यकता एवं कुबि भूमि में आने जाने के लिए लगातार चल रहा है। जो भौके पर चातू है प्राणीगण इसी रास्ता से अपनी कुबि भूमि में आते जाते हैं।

यह कि दफा 9 में वर्णित भूमि पुर्न में प्राणीगण व अप्राणीगण के नाम भी जिन्होंने आपसी सहमति से एक दूसरे के बैयनामा करवाकर नाम अंकित करवा दी थी ताकि कोई रास्ता में अवरोध पैदा न कर सके। इसलिए यह रास्ता बिना रुकावट के लगातार चला आ रहा है जो प्राणीगण एवं अप्राणीगण व अन्य काश्तकारों के लगातार उपयोग व उपभोग में आ रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि रास्ता की अंकित नहीं होने के कारण आईन्दा निवान होने की सम्भावना है। इस रास्ता के अलावा प्राणीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्राणीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। जो उचित कोर्ट फीस पर श्रीमान न्यायालय में अन्दर भिगाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तहशील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक, किला नं. 23 में 0.039 हैक, किला नं. 24/3 में 0.039 हैक, किला नं. 25/1 में 0.022 हैक, रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पुर्न से पश्चिम व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक, दक्षिण-पूर्वी कोने में स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राणीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राणी संख्या 1 से 5, 8 से 17 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता हाजिर बकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है — यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 स्वीकार है। चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक, किला नं. 23 में 0.039 हैक, किला नं. 24/3 में 0.039 हैक, किला नं. 25/1 में 0.022 हैक, व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक, भूमि में वर्षों से सभी काश्तकारों की आपसी सहमति से रास्ता चल रहा है। प.न. 41/252 (4) के किला नं. 21 की भूमि अप्राणी सं. 9 से 14 के नाम दर्ज है। किला नं. 22/2, 24/3, 25/1 की भूमि प्राणीगण लुणाराम-जेठाराम व अप्राणी सं. 1 से 4 नाम दर्ज है। किला नं. 23 की भूमि अप्राणी सं. 5 से 8 के नाम दर्ज है। प.न.

42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 है. भूमि प्रार्थी जेठाराम व अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम दर्ज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 स्वीकार है। चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 व प.न. 41/253 की पत्थर लाईन किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में व इनके पूर्व दिशा में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उत्तर-दक्षिण मुख्य पक्की सड़क है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व अन्य काश्तकार रामचन्द्र-शयोपतराम-हरप्रीतसिंह-जगदीश, आत्माराम, गगन कुमार भी सभी अपनी भूमि में इस मुख्य सड़क से होकर प.न. 41/252 के किला नं. 21 ता 25 के दक्षिण दिशा प्रत्येक में 3 बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम तक वर्षों से आपसी सहमति से आना जाना करते हैं। आगे यह रास्ता प.न. 42 / 252 किला नं. 25/2 की 0.010 है. भूमि से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता वर्षों से आपसी सहमति से सभी की आवश्यकता एवं कृषि भूमि में आने जाने के लिए लगातार चल रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 स्वीकार है।

प्रतिप्रार्थना पत्र

यह कि अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 किला नं. 22/2 की 0.029, 24/3 की 0.039 हैक, 25/1 की 0.042 हैक. कुल 0.100 हैक. भूमि व अप्रार्थी सं. 5 से 8 की 36 एमओडी के प.न. 41/252 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 हैक. भूमि तथा अप्रार्थी सं. 9 से 14 की 36 एमओडी के प.न. 41/252 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 हैक., अप्रार्थी सं. 15, 16 की 36 एमओडी के प.न. 41/252 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22/1 की कुल 1.226 हैक. व अप्रार्थी सं. 17 की 36 एमओडी के प.न. 42/253 किला नं. 1, 2, 5/2 ता 17/2, 20/1, 22 की कुल 4.054 हैक. भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक, किला नं. 23 में 0.039 हैक. किला नं. 24/3 में 0.039 हैक. किला नं. 25/1 में 0.022 हैक. व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक. भूमि में वर्षों से सभी काश्तकारों की आपसी सहमति से रास्ता चल रहा है। इस रास्ता के अलावा हमारे पास आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 व प.न. 41/253 की पत्थर लाईन किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में व इनके पूर्व दिशा में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उत्तर-दक्षिण है। जिससे यह रास्ता लगता है। इसलिए अप्रार्थीगण भी इस रास्ता को मुख्य पक्की सड़क स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिप्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक, किला नं. 23 में 0.039 हैक. किला नं. 24/3 में 0.039 हैकरू किला नं. 25/1 में 0.022 हैक. रास्ता बजानिव दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक. दक्षिण-पूर्वी कोने में स्वीकृत फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 6-7 के विरुद्ध बाद तामिल नोटिस हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। रास्ते से संबंधित काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई भी स्वीकृत शुद्धा

सहायक क्लर्क एच
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता नहीं लगता है। अन्य कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं लगता है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर चुंकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। रास्ते से संबंधित काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई भी स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं लगता है। अन्य कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं लगता है इस लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा किसी न्यायालय के स्थगन आदेश होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए है ना ही तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट में सिविल कोर्ट पीलीबंगा के स्थगन आदेश का विवरण किया गया है परन्तु अभिलेख में स्थगन आदेश जैरकार है जो कि हस्तगत रास्ता प्रकरण के संबंध में नहीं है। इस लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 36 एमओडी के प.न. 41/252 (4) किला नं. 21 में 0.039 हैक, किला नं. 22/2 में 0.039 हैक, किला नं. 23 में 0.039 हैक, किला नं. 24/3 में 0.039 हैक, व किला नं. 25/1 में 0.022 हैक, रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम व प.न. 42/252 (5) किला नं. 25/2 में 0.010 हैक, दक्षिण-पूर्वी कोने में रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार पीलीबंगा आदेशों की पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अन्य वाद/स्थगन नहीं है तो अमलदरामद करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 10/11/2025 सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
बार ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा